25.09.2025

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक भार्गव उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल अरोड़ा उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से आज एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 –ए(3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद सम्पत्ति के विभाजन बाबत है, जिसमें उसने काउंटर क्लेम पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव जिन सम्पत्तियों का बंटवारा चाहा गया है, के संदर्भ में लेते हुए प्रतिवादी के पिता पारसमल द्वारा एक वसीयत अपनी पत्नी श्रीमती मनभर देवी के पक्ष में निष्पादित की, जिसने उक्त सम्पत्तियों की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत कर निष्पादित करवायी। प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–2 ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2010 दर्ज करवायी, से संबंधित दस्तावेजात वाद में प्रदर्शित हो चुके हैं, इसलिए प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने से पक्षकारान के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र की नकल विद्वान अधिवक्ता वादी को दिलवाई गई, जिन्होंने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं कर, सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए, प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात वाद की विषय वस्तु से सुसंगतता रखने, रिकार्ड पर लेने से वाद के न्यायोचित न्याय, निर्णयन में सहायता प्रदान करने का तर्क देते हुए, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अत्यन्त विलम्ब से पेश करने का तर्क देते हुए, दस्तावेजात वाद से किसी भी प्रकार की सुसंगतता नहीं रखने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत वाद पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त सम्पत्ति के विभाजन से संबंधित लम्बित है। उक्त वाद से संबंधित सम्पत्ति बाबत पूर्व में दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2010 पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर में बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 212/2010 पेश किया गया, जिससे संबंधित न्यायालय की आदेशिकाएं तथा पेश किये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 91 दं.प्र.सं. का जवाब दिनांक 13.04.2015 एवं वसीयत दिनांक 03.12.2004 की सत्यापित प्रतियां पेश की गई है, जो कि

हस्तगत वाद के निस्तारण हेतु उचित व न्यायसंगत दस्तावेजात हैं। पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर लम्बित है। उक्त दस्तावेजात को यदि रेकार्ड पर लिया जाता है तो वादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दस्तावेजात बाबत वादी को प्रतिवादी से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। अतः प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 –ए(3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर, प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाता है।

साक्ष्य वादी में गवाह पी.डब्ल्यू 1 जीतमल से विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जिरह की गई, जो असल दस्तावेजात के अभाव में रिजर्व रखी गई।

पत्रावली वास्ते शेष जिरह पी.डब्ल्यू 1 जीतमल दिनांक 10.10.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।